



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102025-266948
CG-DL-E-15102025-266948

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4550]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 2025/आश्विन 23, 1947

No. 4550]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2025/ASVINA 23, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4679(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके बाद “आयकर अधिनियम” के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा “राजस्थान राज्य बीज और जैविक प्रमाणन अभिकरण” (पैन:AAAAR4064L) (जिसे इसके बाद “निर्धारिती” के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जोकि बीज अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम संख्या 54) एक केंद्रीय अधिनियम के तहत गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारित बीज अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम संख्या 54) एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए गठित प्राधिकरण बना रहेगा।

[अधिसूचना सं. 152 /2025/फा. सं. 300195/42/2024-आईटीए-1(भाग)]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।